



पत्रांक-2391A/ कु0का0 / 2023

दिनांक- 31 /10/ 2023

सेवा में

प्राचार्य / प्रबन्धक

सम्बद्ध अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

विषय: सत्र 2023-24 में अस्थाई / स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

नवस्थापित विश्वविद्यालय होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13.06. 2023 में सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय हित/महाविद्यालय हित/जनहित में सम्बद्ध महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में सत्र 2023-24 में सम्बद्धता के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के अनुपालन में मा0 कुलपति जी के निर्देशानुसार मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि पूर्व से संचालित समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित महाविद्यालयों की 30 जून 2023 को समाप्त हो रही सम्बद्धता सत्र 2023-24 हेतु विस्तारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है-

1. महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तारण हेतु आवेदन किया गया हो।
2. महाविद्यालय में प्रबन्धतंत्र, प्राचार्य व शिक्षक सत्र-2023-24 हेतु अनुमोदित हो अथवा अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर विचाराधीन हो।
3. संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधि मान्य हो।

कृपया समस्त सम्बंधित महाविद्यालय यह भी सुनिश्चित करें कि उनके यहां सम्बद्धता मानकों का समुचित रूप से पालन हो रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।


भवदीय

!

कुलसचिव

तिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी
- ✓ 4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट व कालेज लाग-इन पर प्रदर्शित/अपलोड करने हेतु।

  
कुलसचिव 31/10/23